प्रधानमंत्री आवास योजना

सबके लिए आवास (शहरी)

के अन्तर्गत

ग्राम–महुआ खेडा में निर्माणाधीन दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) भवनों के आवंटन हेतु

नियम व शर्तें

आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा

Scanned by CamScanner

आवासीय भवनों के आवंटन हेतु नियम व शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी)

भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के कियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा–निर्देश 2015" निर्गत किये गये हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग (एलआई0जी0) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) रू0 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे तथा निम्न आय वर्ग (एल0आई0जी0) 3.00 लाख रूपये से 6.00 लाख रू0 तक की वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।

1.0 **योजना का नामः–** प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास (शहरी)–दुर्बल आय वर्ग(ई0डब्लू0एस0)

2.0 **योजना का विवरणः–**

2.1. **स्थितिः–**
प्रस्तावित भवन प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही ग्राम–महुआ खेडा में स्थित हैं।

2.2 **भवनों का अनुमानित कारपेट एरियाः–**
भवनों का अनुमानित कारपेट एरिया अनुलग्नक–1 के स्तभ–(7) में अंकित है।

2.3. **भवनों की संख्याः–** योजनावार भवनों की संख्या अनुलग्नक–1 के स्तम्भ–(5) में अंकित है।

2.4. **अनुमानित मूल्यः– रू0 4.50 लाख**

केन्द्रीय अंशदान (अनुदान)	रू0 1.50 लाख
राज्य अंशदान (अनुदान)	रू0 1.00 लाख
लाभार्थी द्वारा देय अंशदान	रू0 2.00 लाख

2.5. **पंजीकरण शुल्कः–**
शासनादेश सं0–646/आठ–1–17–36विविध/2017 दिनांक 30 मई 2018 के अनुसार रू0 5,000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र)

3.0 **पात्रताः–**

3.1 लाभार्थी आगरा नगर के नगरीय क्षेत्र का निवासी हो।

3.2 आवेदन जमा करने की तिथि को लाभार्थी वयस्क हो अर्थात उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

3.3 लाभार्थी को पहचान हेतु आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/जनपद के राजस्व प्राधिकारी से जारी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। (आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा)

3.4 लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होगें।

3.5 लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायसी–इकाईयॉ) नहीं होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

3.6 दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) श्रेणी के भवनों हेतु रू0 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होगें।

3.7 शासनादेश सं0–1855/आठ–1–17–80 विविध/2010 दिनांक 05 सितम्बर –2017 के कम में सूडा/डूडा, आगरा द्वारा चिन्हित/चयनित लाभार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होगें।

3.8 ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होगें।

4.0 आवेदन कैसे करें:–

4.1 पंजीकरण धनराशि नकद (AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 50100150145124 में तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट (AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 50100150145124 के नाम से बनेगा जो एच0डी0एफ0सी0 बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में पंजीकरण फार्म के साथ जमा कराना होगा।

4.2 पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित पंजीकरण धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक में जमा करानी होगी।

5.0 आबंटन:–

5.1 पात्र आवेदकों को भवनों का आवंटन गठित समिति द्वारा लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

5.2 **किश्तें:–**

1. आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा एक माह के अन्दर रू0 45,000.00 तथा अवशेष देय धनराशि रू0 1.50 लाख की धनराशि छः तिमाही किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज से देय होगी।
2. किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्ब अवधि पर 14.50 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

6.0 समर्पण/निरस्तीकरण:–

6.1 आवेदक लाटरी से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु लाटरी की तिथि निर्धारण की सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त पंजीकरण धनराशि वापस नहीं होगी।

6.2 यदि आवेदक द्वारा आबंटित भवन का समर्पण किया जाता है, तो उस स्थिति में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.3 यदि आबंटी भुगतान विवरण के अनुसार लगातार दो किश्तें अदा नहीं करता है, तो भवन का आबंटन निरस्त करते हुए आबंटन तक जमा धनराशि में से 30 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिए आबंटी स्वंय उत्तरदायी होगें।

7.0 आरक्षण:–

शासनादेश सं0–1022/आठ–1–18–93विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के कम में लाभार्थियों को आबंटित किये जाने वाले भवनों में निम्नानुसार "वरीयता नीति" की व्यवस्था की जायेगी:–

(अ) वर्टिकल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

Scanned by CamScanner

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1.	दिव्यांगजन	05% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)
2.	विधवा/एकल महिला	08%
3.	उभयलिंगी	0.5%
4.	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5.	वरिष्ट नागरिक	10% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)

8.0 लाटरी प्रकिया:–

8.1 योजनाओं के लाटरी के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में शासन द्वारा गठित लाटरी समिति द्वारा लाटरी निकालकर भवन का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से तथा प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकर नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

8.2 योजना हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त आवेदन पत्रों की सूची, लाटरी से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट पर तीन दिन की अवधि के लिए, आवेदकों से उक्त सूची में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति (यदि कोई हो) आमंत्रित करने हेतु प्रदर्शित की जायेगी। सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति व आवश्यक संशोधन हेतु आवेदक निर्धारित अवधि में लिखित रूप से आवेदन कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रविष्टि सूची के आधार पर अर्हता सम्बन्धी निर्णय लेकर अर्ह लाभार्थियों के मध्य भवनों का आवंटन लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में तथा प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर दी जाएगी।

8.3 लॉटरी ड्रा/आवंटन न होने की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकरण में जमा पंजीकरण धनराशि सामान्यतः जमा की तिथि से एक वर्ष के पूर्व वापस नहीं की जायेगी लेकिन विशेष परिस्थितियों में 1 प्रतिशत कटौती के उपरान्त उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति से की जा सकेगी। टिप्पणीः पंजीकरण की धनराशि पर ब्याज का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा। अपितु आवंटन होने के उपरान्त भवन के मूल्य में समायोजित किया जायेगा किन्तु आवंटन न होने की दशा में धनराशि के साथ ब्याज दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण के खाते में कम से कम एक वर्ष तक जमा रही हो।

9.0 असफल आवेदक:–

लॉटरी सम्पन्न होने के दो माह के अन्दर असफल आवेदकों के दो माह के अन्दर असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बैंक में आवेदक के खाते में अथवा आवेदक के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा चैक भेजकर वापस कर दी जायेगी।

10.0 मिथ्या अभ्यावदेन अथवा तथ्यों का छुपानाः–

यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन का आवंटन आवेदक

Scanned by CamScanner

को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले लाटरी से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

11.0 पट्टा विलेखः–

11.1 योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लेटों का आवंटन 90 वर्ष की लीज के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए फ्लेट में निहीत भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत पट्टा किराया मांग पत्र के 30 दिवस के अन्दर जमा कराना होगा। शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के प्रस्तर–2 (VIII) के अनुसार ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है, परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वूसली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा। नीलामी/विक्रय राशि से शासकीय सब्सिडी भी वसूली जाएगी।

11.2 आवंटी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

12.0 कब्जाः–

12.1 इस योजना में भवनों का कब्जा विकास कार्य पूर्ण होने एवं तत्समय तक की किश्तें समयानुसार जमा होने पर रू0 500.00 के स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट कर भवन का कब्जा हस्तगत किया जायेगा, जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

12.2 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक कब्जा नहीं लेता है, तो रू0 200.00 प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगी, जिसमें नियमानुसार बढ़ोत्तरी भी की जायेगी।

12.3 आवंटी को समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा निर्गत नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय–समय पर करना होगा।

12.4 भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु लाभार्थियों से निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि कब्जा हस्तानान्तरण के समय "अनुरक्षण फण्ड" में जमा कराया जायेगी।

12.5 वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु लाभार्थियों से निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि कब्जा हस्तानान्तरण के समय "कारपस फण्ड" में जमा करायी जायेगी।

12.6 सुविधाओं का हस्तानान्तरण होने के उपरान्त–उक्त दोनों फण्डों की तत्समय उपलब्ध अवशेष धनराशि आर0डब्लू0ए0 को हस्तगत की जायेगी।

13.0 भवनों का प्रयोगः–

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

14.0 निर्माण अवधि :–

स्थल विकास सहित भवनों की निर्माण अवधि 18 माह होगी।

15.0 अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें:–

15.1 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्तों के संशोधन का सर्वाधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जो समस्त आवेदकों/आवंटियों को मान्य होगें।

15.2 योजना के वास्तविक कियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है, जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आवंटी को स्वीकर करना होगा।

15.3 इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय अन्तिम होगा।

15.4 किसी भी विवाद की दशा में आगरा कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक–1

निर्माणाधीन दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) भवनों का विवरण
योजना का नामः– प्रधानमंत्री आवास योजना, (ग्राम–महुआ खेडा)

क्र0 सं0	योजना का नाम	निर्माण	भवनों की श्रेणी	भवनों की संख्या	भवन का सुपर एरिया (वर्ग मी0)	भवन का कार्पेट एरिया (वर्ग मी0)	प्रति भवन का अनुमानित मूल्य (लाखों में)	अनुदान धनराशि रू0 (लाखों में)	लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली धनराशि रू0 (लाखों में)	पंजीकरण धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना	01 लिविंग रूम, 01 बेड रूम, 01 किचन, ट्वायलेट, बाथरूम, बालकनी	EWS	2016	34.07	22.77	4.50	2.50	2.00	5,000/–

(*)भारत सरकार का अनुदान (अशंदान) रू0 1.50 लाख तथा राज्य सरकार का अनुदान (अंशदान) रू0 1.00 लाख सम्मिलित है। यद्यपि आवंटी को रू0 2.00 लाख के मूल्य पर ही भवन दिये जायेगें।

- आवेदन पत्र के साथ वॉछित पंजीकरण धनराशि नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उक्त बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में जमा की जायेगी।
- बैंक ड्राफ्ट (AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 50100150145124 के नाम से देना होगा।
- पंजीकरण फार्म निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक– 07/10/2018 तक कॉलम–11 में अंकित पंजीकरण शुल्क (डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा कैश) के साथ एच0डी0एफ0सी0 बैंक की निर्दिष्ट शाखा में जमा कराना होगा।

उक्त शर्तो का अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर भी किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण

जयपुर हाउस, आगरा

विशेष पंजीकरण–2018 (प्रथम चरण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्कीम 2018 में पंजीकरण हेतु आवेदन– पत्र

पंजी0 सं0:.. **फार्म संख्या.........................**

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)

वर्तमान कलर फोटो हस्ताक्षर सहित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम..
3. आवेदक का स्थाई पता..
4. पत्र व्यवहार का पता..
5. केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की संख्या...
6. आधार नम्बर..
7. लिंग (पुरूष–01, महिला–02, उभयलिंगी–03)
8. धर्म:–
   हिन्दु–01, मुस्लिम–02, ईसाई–03, सिक्ख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य–08 (उल्लेख करें) कोड संख्या
9. जाति:–
   सामान्य–01, अनुसूचित जाति–02, अनुसूचित जनजाति–03, अन्य पिछड़ा वर्ग–04, अन्य वर्ग–05 कोड संख्या
10. आवेदक की बैंक का ब्यौरा:–
    क–बैंक और शाखा का नाम:–––––––––––––––––––––––––
    ख–बैंक खाता संख्या :–––––––––––––––––––––––––––
    ग–बैंक का आई.एफ.एस. कोड संख्या:––––––––––––––––––
11. क्या आवेदक विकलांग है (हॉं/नहीं)
12. वैवाहिक स्थिति :–
    (विवाहित–01, अविवाहित–02, एकल महिला/विधवा–03) कोड संख्या
13. दूरभाष नं0 Phone No. | | | | | | | | | | | | मो0 नं0 Mob. No. | | | | | | | | | | | |

संलग्नक– निम्न प्रमाण पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित छायॉप्रति।

आरक्षण विशेष का प्रमाण–पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत), केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा, आगरा में पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड की प्रति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता/दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति।

(लाभार्थी/आवेदक)

हस्ताक्षर/आंगूठा
पत्राचार का पूर्ण पता
मोबाइल नम्बर–

✂––

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)
रसीद

आवेदन पत्र सं0................................

आवेदक का नाम..

योजना का नाम..

पंजी0 संख्या.......................................

आवेदित भवन/भूखण्ड की श्रेणी...

तिथि...

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

नामित व्यक्ति एवं पारिवारिक सूचना

NOMINATION AND FAMILY DETAILS

आवेदक की फोटो

1. नामित व्यक्ति का नामः ....
   Name of Nominee
   नामित अवस्यक होने के दशा में अवयस्क के अभिभावक का नाम व पता
   Guardian Name in case of Minor
   ....
   ....
   ....

2. परिवार के सदस्यों की संख्या..
   Details of Family Name

परिवार के सदस्यों का विवरण

कमांक	नाम	आयु	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

उपरोक्त विवरण की सत्यता मैं स्वंय प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में कमांक 1 से 12 तक दी गई सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और प्राधिकरण की सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं। इस शपथ पत्र में कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा की गई ब्याज में कुछ भी गलत अथवा असत्य हो, मैनें कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त आगरा विकास प्राधिकरण को पूरा–पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें, पुनः कब्जा ले लें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

वर्तमान कलर
फोटो हस्ताक्षर
सहित

रूपये 10/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित
किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

समक्ष– आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

शपथ पत्र मिनजानिब...पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री
श्री/श्रीमती..व्यवसाय.........................
आयु.............................वर्ष लगभग निवासी...
मैं...शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान
करता/करती हूँ :–

1. मैं आगरा विकास प्राधिकरण की...
   ....योजना के अन्तर्गत..भवन हेतु
   पंजीकरण प्रार्थना पत्रप्रस्तुत कर रहा/कर रही हूँ जिसके लिये पंजीकरण धनराशि रू0..........................
   ....द्वारा निर्गत चालान सं0..दिनांक....
   ....को जमा करायी जा चुकी है।
2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
4. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा हूँ/रही हूँ। इसमें किसी प्रकार का बैनामी अधिकार शामिल नहीं है।
5. मेरे या मेरे पति/मेरी पत्नी तथा अवयस्क बच्चों के पास आगरा नगम में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट अथवा स्थानीय निकाय, सहकारी आवास समिति आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलीन में कोई आवासीय भवन नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर/शहरी क्षेत्र की विकसित कॉलोनी में एक से अधिक आवासीय भवन नहीं है।
6. यदि आवंटन से पूर्व मेरे, मेरे पति/मेरी पत्नी, अथवा मेरे अवयस्क बच्चे/बच्चों द्वारा कोई आवासीय भवन कय किया जाता है या पट्टे पर प्राप्त किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त मेरे द्वारा विकास प्राधिकरण को दी जायेगी।
7. मैंने पंजीकरण आवेदन के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया गया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ/देती हूँ।
8. आवंटित भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा न्यायिक प्रकिया के कारण, या ठेकेदारों द्वारा ठेके में निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण, अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ण की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।
9. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष.......................... में समस्त श्रोत्रों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 3,00,000/– से अधिक नहीं थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
10. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या...
    ..../आधार नम्बर... जो पंजीकृत है।
11. मुझे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भवन देने की सभी शर्ते व नियम मान्य हैं।

Scanned by CamScanner

12. मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि भवन का रख–रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालात में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं ही मकान के सम्पत्ति करों अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने हेतु उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जब तक मैं की समस्त किस्तें व कर के धन का पूर्ण भुगतान न कर दूँ, मैं प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा/रहूँगी।
13. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि जब तक भवन समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भवन व भूमि बेचने या गिरवीं रखने का अधिकार न होगा, और न भवन में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना करूँगा/करूँगी, और न ही भवन को रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।
14. यदि आगरा विकास प्राधिकरण से आवन्टन उपरान्त आवेदित भवन का कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत माँगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा भवन की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो प्राधिकरण को मेरे द्वारा जाम समस्त धन को जब्ज करने तथा भवन का आवन्टन रद्द करने तथा भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
15. मैं एतद् द्वारा वचन देता/देती हूँ कि यद्यपि आवंटित की जाने वाली भूमी प्राधिकरण द्वारा भूमि के पूर्व स्वामी को नियमानुसार निर्धारित प्रतिकर का भुगतान कर अर्जित की गयी है, परन्तु भूमि के पूर्व स्वामी द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में सन्दर्भ/अपील/रिट पिटीशन/एस0एल0पी0 योजित करने पर न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा बढ़ा हुआ प्रतिकर का भुगतान करने पर इस अतिरिक्त प्रतिकर की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी ही होगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत किये जाने वाले माँग पत्र का सम्मान मेरे द्वारा किया जायेगा तथा माँग पत्र में वर्णित धनराशि का भुगतान निर्धारित समयावधि जो कि माँग पत्र में उल्लिखित हागी, मेरे द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किया जायेगा। इस धनराशि का भुगतान मेरे द्वारा निर्धारित समयावधि में न करने की दशा में प्राधिकरण इस धनराशि को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूलने हेतु अधिकृत होगा।
16. मेरे आवेदन पत्र में हस्ताक्षर एवं पत्र व्यवहार का पता नोटरी द्वारा प्रमाणित करा दिये गये हैं जो कि सही है।
17. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपराक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी हो, तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त आगरा विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी को पूरा–पूरा अधिकार होगा कि रजिस्ट्रेशन/आवन्टन/एग्रीमेंट रद्द कर दें, पुनः कब्जा वापिस कर लें, और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को जब्ज कर लें, और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें करें, उससे मुझे कोई आपत्ति न होगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपराक्त कमांक 1 से कमांक 17 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसकी पुष्टि करता/करती हूँ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

चालान संख्या

आगरा विकास प्राधिकरण

(ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लेटों के इच्छुक क्रेताओं के पंजीकरण की
योजना के अन्तर्गत बयाने की धनराशि जमा कराने का चालान)

HDFC BANK

(AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 50100150145124

मूल प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

दिनांक..........................

आवेदक का पूरा नामः..
आवेदक का पूरा पताः..
....
योजना का नामः ....
आवेदित भवन की श्रेणीः ....
पंजीकरण धनराशि (अंकों में): ....
धनराशि (शब्दों में): ....
बैंक का नाम जहाँ जमानत धनराशि जमा कर रहें हैः ....
....
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ....दिनांक ....
ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः ....
....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या

आगरा विकास प्राधिकरण

(ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लेटों के इच्छुक क्रेताओं के पंजीकरण की
योजना के अन्तर्गत बयाने की धनराशि जमा कराने का चालान)

HDFC BANK

(AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 50100150145124

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा नित्य–लेखा सहीत प्राधिकरण कार्यालय को भेजने हेतु)

दिनांक..........................

आवेदक का पूरा नामः..
आवेदक का पूरा पताः..
....
योजना का नामः ....
आवेदित भवन की श्रेणीः ....
पंजीकरण धनराशि (अंकों में): ....
धनराशि (शब्दों में): ....
बैंक का नाम जहाँ जमानत धनराशि जमा कर रहें हैः ....
....
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ....दिनांक ....
ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः ....
....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

चालान संख्या

आगरा विकास प्राधिकरण

ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लेटों के इच्छुक क्रेताओं के पंजीकरण की योजना के अन्तर्गत बयाने की धनराशि जमा कराने का चालान)

HDFC BANK

(AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 50100150145124

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा यह प्रति आवेदन–पत्र के साथ ही नत्थी की जायेगी)

दिनांक........................

आवेदक का पूरा नामः...

आवेदक का पूरा पताः...

....

योजना का नामः ....

आवेदित भवन की श्रेणीः ....

पंजीकरण धनराशि (अंकों में): ....

धनराशि (शब्दों में): ....

बैंक का नाम जहॉ जमानत धनराशि जमा कर रहें हैः ....

....

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ....दिनांक ....

ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः ....

....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर　　　　आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या

आगरा विकास प्राधिकरण

(ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लेटों के इच्छुक क्रेताओं के पंजीकरण की योजना के अन्तर्गत बयाने की धनराशि जमा कराने का चालान)

HDFC BANK

(AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY - PMAY) खाता सं0– 5010015014512

चतुर्थ प्रति

(बैंक द्वारा आवेदक को दी जायेगी)

दिनांक........................

आवेदक का पूरा नामः...

आवेदक का पूरा पताः...

....

योजना का नामः ....

आवेदित भवन की श्रेणीः ....

पंजीकरण धनराशि (अंकों में): ....

धनराशि (शब्दों में): ....

बैंक का नाम जहॉ जमानत धनराशि जमा कर रहें हैः ....

....

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ....दिनांक ....

ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः ....

....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर　　　　आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner